<u>न्यायालय</u>— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र. (आप.प्रक.क्रमांक :— 2263 / 2014)

<u>(संस्थित दिनांक :- 22 / 12 / 2014)</u>

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– गोहद जिला–भिण्ड, म.प्र.

.....अभियोजन।

//विरूद्ध//

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 03 / 02 / 2017 को घोषित)

- 01. आरोपी कृष्णपाल पर धारा :— 279 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :— 07/11/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे अगनूपुरा—बनीपुरा लोकमार्ग पर देव सिंह पुरा मोड के पास, अपने आधिपत्य की वाहन बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2034 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत राजेश को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।
- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 07/11/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे अगन्पूप्र—बनीपुरा लोकमार्ग पर देव सिंह पुरा मोड के पास, वाहन बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2034 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर आहत राजेश की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे उपहित कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी लोकेन्द्र सिंह द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद में की जाने पर, थाना गोहद में वाहन बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2034 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 370/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आहत राजेश के एक्स—रे परीक्षण में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से आरोपी के विरूद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। वाहन बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2034 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी

लोकेन्द्र सिंह, आहत राजेश एवं साक्षीगण पुष्पेन्द्र सिंह एवं भीकम सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त कृष्णपाल के विरूद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झुठा फसाया जाना व्यक्त किया है।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी कृष्णपाल ने दिनांक :- 07/11/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे अगनूपुरा—बनीपुरा लोकमार्ग पर देव सिंह पुरा मोड के पास, अपने आधिपत्य की वाहन बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2034 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत राजेश को टक्कर मारकर अस्थिमंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दु कमांक : 01 एवं 02

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. साक्षी / आहत राजेश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 07 / 11 / 2014 की सुबह 07 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह मोटर साईकिल से दूध लेकर बाजार की तरफ आ रहा था। तभी गोहद की तरफ से एक बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2034 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके दाहिने पैर के घुटने में चोट आई थी और पैर टूट गया था और मोटर साईकिल का लैगगार्ड टेड़ा हो गया था। पुलिस ने इस संबंध में

उससे पुछताछ की थी। साक्षी आगे कहता है कि घटना के समय लोकेन्द्र एवं भीकम सिंह आ गये थे। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी वही व्यक्ति है, जिसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मारी थी। इसी प्रकार साक्षी लोकेन्द्र सिंह अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 07 / 11 / 2014 की सुबह 07 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह सुबह टहलने गया था, उस समय उसके राजेश भईया अपनी मोटर साईकिल से दुध की टंकी लेकर खड़े थे, जो गोहद दुध देने जा रहे थे, तभी गोहद की तरफ से एक बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2034 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके भाई राजेश की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसके भाई राजेश के दाहिने पैर के घुटने में चोट आई थी और पैर टूट गया था और मोटर साईकिल का लैगगार्ड टेड़ा हो गया था एवं घटना के समय भीकम सिंह आ गये थे। साक्षी आगे कहता है कि फिर वह एवं भीकम सिंह भाई राजेश को ट्रेक्टर—ट्राली में रखकर थाने लेकर गया, जहाँ घटना की रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि हाजिर अदालत आरोपी वही व्यक्ति है, जो घटना के समय दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन चला रहा था। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा—मौका प्र.पी.02 बनाया था. जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

उल्लेखनीय है कि फरियादी लोकेन्द्र अ.सा.01 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी कृष्णपाल के विरूद्ध नामजद नहीं की गई थी, बल्कि बुलेरो लोडिंग कमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2034 के अज्ञात चालक के विरूद्ध की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक बलवंत अ.सा.07 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में केवल यह दर्शित किया है कि उसने फरियादी लोकेन्द्र द्वारा मौखिक रिपोर्ट किये जाने पर बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2034 के चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी। बलवंत अ. सा.07 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 किसी व्यक्ति या आरोपी कृष्णपाल के विरूद्ध नामजद की गई थी। विवेचना के दौरान लेखबद्ध किये गये फरियादी लोकेन्द्र अ.सा.०१ एवं आहत राजेश अ.सा.०२ के कथन अन्तर्गत धारा १६१ द.प्र. सं. में भी कहीं पर आरोपी कृष्णपाल का नाम दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में प्रकट नहीं हुआ था। यदि लोकेन्द्र अ.सा.01 एवं राजेश अ. सा.02 द्वारा विवेचना के दौरान विवेचक को दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी कृष्णपाल का नाम दर्शित किया गया होता तो निश्चय ही विवेचक द्वारा आरोपी का नाम उक्त साक्षीगण के पुलिस कथन में लेखबद्ध किया गया होता। लोकेन्द्र अ.सा.०१ एवं राजेन्द्र अ.सा.०२ ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उन्हें विवेचना के पूर्व या विवेचना के पश्चात् दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कृष्णपाल का नाम कब और किस प्रकार ज्ञात हुआ। मात्र साक्षीगण द्व

ारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी को पहचानना प्रकट करने से यह नहीं माना जा सकता कि वह आरोपी को प्रारम्भ से ही दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में पहचानते थे, क्योंकि डॉक आईडेंटीफिकेशन एक कमजोर किस्म की पहचान कार्यवाही होती है। अभियोजन कथा के अनुसार घटना के एक अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षी भीकम अ.सा.08 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपित अपराधों के संबंध में अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

- पुष्पेन्द्र अ.सा.०६ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह 10. के.पी.सिंह भदौरिया के कंस्टेक्सन कम्पनी में सुपरवाईजर के रूप में कार्य करता है। कम्पनी का वाहन क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2034 रूद्रपाल सिंह भदौरिया के नाम पर पंजीकृत है, जो उसके मालिक के.पी.सिंह भदौरिया का लड़का है। साक्षी आगे कहता है कि उक्त वाहन का एक्सीडेंट दिनांक : 07 / 11 / 2014 को देव सिंह के पूरा के पास हो गया था, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसे उक्त वाहन को कौन चालक चला रहा था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी पृष्पेन्द्र अ.सा.०६ ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक 07 / 11 / 2014 को वाहन क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2034 को आरोपी चालक कृष्णपाल चला रहा था। इस प्रकार पृष्पेन्द्र अ.सा.०६ ने भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन कथा का कोई समर्थन नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान वाहन के पंजीकृत स्वामी रूद्रपाल पुत्र के.पी.सिंह का कोई प्रमाणीकरण वाहन मालिक के रूप में अंकित नहीं किया गया है।
- अभियोजन साक्षी डॉ.जे.पी.गृप्ता अ.सा.०५ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07 / 11 / 2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना गोहद के आरक्षक क्रमांक 263 मंजीत सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत राजेश पुत्र सियाराम उम्र 35 वर्ष का परीक्षण करने पर आहत के लाल नीलगू निशान दाहिने पैर की पिड़ली पर था, जिस पर सूजन थी, जिसका आकार 03 से.मी. घुटने के नीचे थी। चोट की जगह सूजन थी, जिसके एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई उक्त चोटें किसी कठोर एवं भौथरी वस्तू से उसके परीक्षण के 0 से 24 घण्टे के अन्दर आना प्रतीत होती थी। साक्षी आगे कहता है कि आहत को ईलाज हेतू ट्रामा सेंटर मेडीकल कॉलेज ग्वालियर भेजा गया था, इस वावत उसके द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार डॉ.एस.के.महेश्वरी अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07 / 11 / 2014 को बिरला हॉस्पीटल ग्वालियर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को डॉ.पी.सी.सक्सैना द्वारा रिफर किये जाने पर उसने आहत राजेश

गुर्जर के दाहिने घुटने एवं पैर का एक्स—रे परीक्षण किया था, जिसके अवलोकन से उसने पाया था कि आहत के दाहिने पैर की टीविया एवं फेबुला हड्डी में फैक्चर था। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। डॉ.एस.के. माहेश्वरी अ.सा.03 एवं डॉ.जे.पी.गुप्ता अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति—परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है और उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उनके द्वारा दी गई एक्स—रे रिपोर्ट प्र. पी.03 एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि दिनांक : 07/11/2014 को आहत राजेश गुर्जर को उसके दाहिने पैर की टीविया एवं फीबुला अस्थि में अस्थिभंग कारित हुआ था।

अभियोजन साक्षी हिम्मत सिंह अ.सा.०४ का उसके न्यायालयीन 12. अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07 / 11 / 2014 को पुलिस थाना गोहद में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद के अपराध क्रमांक 370 / 2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द. सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेत् प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही साक्षीगण लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, भीकम सिंह बघेल एवं राजेश गुर्जर के बताएं अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 11/11/2014 को साक्षी लोकेन्द्र की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही पुष्पेन्द्र सिंह के कथन उसके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी कृष्णपाल से बुलेरो लोडिंग कमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2034 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी. 04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी कृष्णपाल को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

13. हिम्मत सिंह अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया कि फरियादी लोकेन्द्र अ.सा.01, आहत राजेश अ.सा. 02 या साक्षी भीकम अ.सा.08 ने उनके कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में दुध दिनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कृष्णपाल का नाम बताया हो। विवेचना के दौरान लेखबद्ध किये गये पुष्पेन्द्र अ.सा.06 के पुलिस कथन में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कृष्णपाल का नाम प्रकट हुआ है, जिसके आधार पर प्रकरण में कृष्णपाल को आरोपी बनाया गया है, परन्तु पुष्पेन्द्र अ.सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि फरियादी लोकेन्द्र अ.सा.01,

आहत राजेश अ.सा.02 एवं साक्षी भीकम अ.सा.08 तीनों ने उनके पुलिस कथन में विवेचक हिम्मत सिंह अ.सा.04 को दुर्घटना दिनांक : 07/11/2014 को ही यह दर्शित किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाला चालक दुर्घटनास्थल पर ही दुर्घटनाकारित करने वाली गाड़ी खड़ी करके भाग गया है और हिम्मत सिंह अ.सा.04 द्वारा उक्त दिनांक को ही घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाने एवं दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन जब्त करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह हिम्मत सिंह अ.सा.04 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया गया। हिम्मत सिंह अ.सा.04 द्वारा घटनास्थल का नक्शा—मौका दिनांक : 11/11/2014 को बनाया गया है और दिनांक : 11/11/2014 को ही आरोपी कृष्णपाल द्वारा थाना गोहद में प्रस्तुत करने पर वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2034 जब्त किया गया है, ना कि दिनांक : 07/11/2014 को दुर्घटनास्थल से।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी कृष्णपाल द्वारा दिनांक :— 07/11/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे अगनूपुरा—बनीपुरा लोकमार्ग पर देव सिंह पुरा मोड के पास, अपने आधिपत्य की वाहन बुलेरो लोडिंग कमांक एम.पी.07/जी.ए./2034 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत राजेश को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

- 15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी कृष्णपाल के विरूद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी कृष्णपाल को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 16. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 17. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2034 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी रूद्रपाल सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। (पंकज शर्मा) (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद